पत्र सं०–एम–4–21 / 2021(खण्ड) 6981 / वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार ।

पटना–15, दिनांक– 08-08-2023

विषय :– वित्तीय वर्ष 2023–24 में निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में।

प्रसंग :– वित्त विभागीय पत्रांक–3151 दिनाक–31.03.2023 एवं 6482 दिनांक–25.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 की कंडिका–2 में निर्धारित चौमाही प्रतिशत के अनुसार आवंटन दिये जाने का प्रावधान है, जिसके आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रासंगिक विभागीय पत्रों द्वारा सिलिंग का निर्धारण किया गया है । सम्प्रति विभागीय पत्रांक–6482 दिनांक–25.07.2023 द्वारा स्थापना प्रतिबद्ध व्यय एवं स्कीम दोनों मदों में सिलिंग को 65 प्रतिशत तक निर्धारित किया गया है ।

इसी क्रम में समीक्षोपरांत स्थापना प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत निम्नांकित विषय शीर्षों में प्रतिशत बंधेज को शत–प्रतिशत शिथिल किया जाता है :–

क्र०सं०	विषय शीर्ष	
1	0201	मजदूरी
2	0501	पुरस्कार
3	1101	यात्रा व्यय
4	1301	कार्यालय व्यय
5	1302	वाहन का ईधन एवं रख–रखाव
6	1303	दूरभाष
7	1306	वर्दी पोशाक
8	1310	भाड़े की गाड़ी का भुगतान
9	1601	प्रकाशन एवं मुद्रण
10	2001	आतिथ्य व्यय
11	2002	कॉफ्रेंस कार्यशाला एवं सेमिनार
12	2003	प्रशिक्षण व्यय
13	2803	कन्सल्टेंसी
14	2804	व्यवसायिक कला एवं तकनीकी शिक्षा
15	2805	परीक्षा संबंधी व्यय
16	3302	मुआवजा

अनुरोध है कि बिहार कोषागार संहिता के नियम–176 एवं 177 के आलोक में कोषागार से उतनी ही राशि की निकासी की जाय, जितना सृजित दायित्व, संपादित कार्य, आपूरित वस्तु एवं लाभार्थी को नियमानुसार देय राशि के विरूद्ध राशि का भुगतान करना हो । अनावश्यक रूप से राशि की निकासी कर बैंक खाते में park नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन) ।

08/8/2023

ज्ञापांक:–एम–4–21/2021(खण्ड)–6981/वि० **पटना, दिनांक**–08-08-2023

प्रतिलिपि:–प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव (संसाधन)। 08/8/23

ज्ञापांक:–एम–4–21/2021(खण्ड)–6981/वि० **पटना, दिनांक**–08-08-2023

प्रतिलिपि:–विकास आयुक्त, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, बिहार/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/माननीय लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त कार्यालय/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव (संसाधन)। 08/8/23

ज्ञापांक:–एम–4–21/2021(खण्ड)–6981/वि० **पटना, दिनांक**–08-08-2023

प्रतिलिपि:–माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव (संसाधन)। 08/8/23

ज्ञापांक:–एम–4–21/2021(खण्ड)–6981/वि० **पटना, दिनांक**–08-08-2023

प्रतिलिपि:–श्री संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी/श्री अजय कुमार ठाकुर, उप बजट नियंत्रक–सह–उप सचिव, प्रभारी CFMS/श्री प्रकाश चंद्र मिश्र, प्रभारी ITCS, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव (संसाधन)। 08/8/23